

यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०— एम०— 29/2024

वाद का प्रकार— धारा— 126 भा०ना०सु०सं०

भीमस कुमार वगै० —बनाम— किशुन सिंह वगै०

आदेश

2.1.2025

थाना प्रभारी, कुरुमगढ थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 14/2024 दिनांक—

12.07.2024 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा— 126 तहत प्रास्तव प्राप्त है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि वादी 1. भीमस कुमार 2. कपील सिंह 3. शुभ सिंह, तीनों पिता— नगेन्द्र सिंह, तीनों सा०— सकरा, थाना— कुरुमगए, जिला— गुमला —बनाम— 1. किशुन सिंह, पिता— रामनाथ सिंह 2. सुबोध सिंह, पिता— किशुन सिंह 3. रविन्द्र सिंह, पिता त्रिलोक सिंह, तीनों सा०— सकरा, थाना— कुरुमगढ, जिला— गुमला उनके बीच जमीन विवाद के कारण उत्पन्न विधि—व्यवस्था की स्थिति में न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। अंकनीय है कि संबंधित पक्षकारों के द्वारा न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में ना तो तथ्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया और ना ही Bond Down किया गया।

अतः प्रश्नगत मामला में संबंधित पक्षकारों के द्वारा न्यायालय में तथ्यों का पूर्ण प्रस्तुतीकरण नहीं करने एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा— 126 के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि सभी संबंधित पक्षकार लोक परिशांति व विधि—व्यवस्था बनाए रखेंगे।

लेखापित एवं संशाधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।